समाहरणालय मधेपुरा।
जिला आपूर्ति शाखा)

# आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1733/खाद्य दिनांक–09.03.2016 द्वारा माह–मार्च,2016 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक–3550 /खाद्य,दिनांक–18.06.2014 में दिए गए मार्ग–दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्त्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी0 पी0 एल0,अन्त्योदय एवं ए0पी0एल0 परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी0पी0एल,अन्त्योदय एवं ए0पी0एल0 परिवारों को प्रति परिवार 2.225 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों को कूपन के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1733/खाद्य दिनांक–09.03.2016 द्वारा माह मार्च,2016 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :–

| क्र0 | प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम | 2001 के आधार पर जनसंख्या | पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह–फरवरी,16 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परि0 की सं0 | उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली में) ज0वि0प्र0वि/हॉकर | सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम | थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01 | मधेपुरा प्रखण्ड | 149589 | 48055 | ज0वि0प्र0–132151.250<br>हॉकर (6X750) 4500.000<br>कुल–136651.250 | 1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज<br>2.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | 116151.250<br>20500.000<br>कुल– 136651.250 |
| 02 | नगर परिषद, मधेपुरा | 45031 | 10885 | ज0वि0प्र0–24491.250<br>हॉकर (25X750) 18750.00<br>सरकारी संस्था 1518.000<br>कुल– 44759.250 | 1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | कुल– 44759.250 |
| 03 | सिंहेश्वर प्रखण्ड | 102086 | 33202 | ज0वि0प्र0– 91305.500<br>हॉकर (6X750) 4500.000<br>पुलिस अधीक्षक– 850.000<br>कुल– 96655.500 | 1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर | कुल– 96655.500 |
| 04 | शंकरपुर प्रखण्ड | 82519 | 28661 | ज0वि0प्र0–78817.750 | 1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर | कुल– 78817.750 |
| 05 | गम्हरिया प्रखण्ड | 65125 | 19921 | ज0वि0प्र0–54782.750 | 1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर | कुल– 54782.750 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | घैलाढ़ प्रखण्ड | 73129 | 22298 | ज0वि0प्र0-61319.500<br>हॉकर (6X750) 4500.000<br>कुल- [illegible]9.500 | 1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज<br>2. मे0शिवशक्ति एजेन्सी, सिंहेश्वर | 56819.500<br><br>9000.000<br>कुल- 65819.500 |
| 07 | मुरलीगंज प्रखण्ड | 141212 | 43555 | ज0वि0प्र0-119776.250<br>सरकारी संस्था- 50.000<br>कुल-119826.250 | 1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज<br>2 मे0 जय बजरंग एजेन्सी, कुमारखंड<br>3. मे0 श्यामा स्टोर बिहारीगंज | 101376.250<br><br>11000.000<br><br>7450.000<br>कुल-119826.250 |
| 08 | मुरलीगंज नगर पं0 | 222936 | 6673 | ज0वि0प्र0-15014.250<br>हॉकर (20X750) 15000.000<br>कुल- 30014.250 | 1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज | कुल-30014.250 |
| 09 | कुमारखण्ड प्रखण्ड | 187643 | 52282 | ज0वि0प्र0-143775.500<br>हॉकर (1X750) 750.000<br>कुल-144525.500 | 1.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड। | कुलः-144525.500 |
| 10 | उदाकिशुनगंज प्रखंड | 136937 | 38060 | ज0वि0प्र0-104665.000<br>हॉकर (16X750) 12000.00<br>सरकारी संस्था- 150.000<br>कुल- 116815.000 | 1.मे0चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज | कुल- 116815.000 |
| 11 | ग्वालपाड़ा | 95295 | 24248 | ज0वि0प्र0-66682.000<br>हॉकर (4X750) 3000.000<br>कुल-69682.000 | 1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज | कुल- 69682.000 |
| 12 | बिहारीगंज | 101655 | 29663 | ज0वि0प्र0-81573.250<br>हॉकर (29X750) 21750.00<br>कुल-103323.250 | 1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज | कुल-103323.250 |
| 13 | आलमनगर | 129226 | 38483 | ज0वि0प्र0-105828.250<br>हॉकर (7X750) 5250.000<br>कुल-111078.250 | 1.मे0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर | कुल-111078.250 |
| 14 | चौसा प्रखंड | 116471 | 32037 | ज0वि0प्र0-88101.750<br>हॉकर (2X750) 1500.000<br>कुल- 89601.750 | 1.मे0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर | कुल- 89601.750 |
| 15 | पुरैनी प्रखंड | 77792 | 21121 | ज0वि0प्र0-58082.750<br>हॉकर (2X750) 1500.000<br>कुल-59582.750 | 1.मे श्यामा स्टोर, बिहारीगंज<br>2.मे0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर | 39212.750<br><br>20370.000<br>कुल- 59582.750 |
| कुल योगः- | | 1526646 | 449144 | 1321935.000 | | 1321935.000 |

2. इस प्रकार जिले में वितरण हेतु आवंटित-112टैंकर(112X12000)=1344000.000 लीटर किरासन तेल में से प्रखंड/नगर निकायों से प्राप्त माह-फरवरी,2016 के मासिक प्रतिवेदन में वितरित मात्रा के अनुरूप उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली0 किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेगें।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है:-

1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा –250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।

2. अल्प संख्यक छात्रावास, मधेपुरा –194 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

3. राजकीय कल्याण छात्रावास, टी0पी0 कॉलेज,मधेपुरा–174 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज

4. आवा0अनु0जाति वि0भोकराहा(स्थानान्तरित,मुरलीगंज)–50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।

5. व्यवहार न्यायाल, मधेपुरा –900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

5. उप कारा उदाकिशुनगंज –150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।

योगः– 1718 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाऐगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं0 तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अल्लसंख्यक छात्रावास/राजकीय कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा मधेपुरा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु आवंटित तेल किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा, सुदूरवर्त्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय **विद्यालय, मुरलीगंज** हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा, उप **कारा,उदाकिशुनगंज** को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा,अधीक्षक,उदाकिशुनगंज,द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1733/खाद्य दिनांक–09.03.2016 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाऐगा। **इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी।** सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वी0 तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वी0 तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–1871,दिनांक–13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थौक विक्रेता के यहॉ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थौक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफलोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थौक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हे ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाईल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता (वरीय पदाधिकारी आपूर्ति) को देगें और इसके पश्चात थौक विक्रेता के यहॉ पहुँचकर उसका भौतिक सत्यापन करेगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकार के निदेश के आलोक में पंचायतवार रोस्टर तैयार करेगें और रोस्टर के अनुसार ही थौक विक्रेता जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किरासन तेल की आपूर्ति करेगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इस निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर किरासन तेल के वितरण में हुई किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी मानते हुए, उनके विरूद्ध कार्रवाही की जायेगी।